कार्यालय -- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)मध्यप्रदेश,भोपाल

कमॉक/संरक्षण/कक्ष--2/1919 /भोपाल:दिनांक 1/11/03

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक

टाइगर परियोजना , मध्यप्रदेश ।

विषय :-- वन अपराधों के कालातीत होने से पूर्व अभियोजन प्रारंभ करना ।

संदर्भ :-- 1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,मध्यप्रदेश का ज्ञापन कमॉक/2948 दिनांक 20--11--98

2/मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) का पत्र कमॉक 2495 दिनांक 29--10--97

3/ मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)का पत्र कमॉक 1675 दिनांक 19--6--98

4/ मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)का पत्र कमॉक 160 दिनांक 21--1--2002

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें , जिनके माध्यम से आप लोगों को सूचित किया गया था कि भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 468 के अनुसार वन अपराध कितने समय में कालातीत हो जाते हैं । 20 अक्टूबर 2003 को 20 वन मण्डलाधिकारियों की गोष्ठी के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश वन मण्डलाधिकारियों को प्रकरणों के कालातीत होने की सही--सही जानकारी अभी तक भी नहीं है । इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :--

1- भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान है एवं रुपये 1000/-- तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है ।

2-- मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम में भी एक वर्ष की सजा एवं 10,000/-- रुपया तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है

इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम, तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम एवं मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबध्द होने वाले प्रकरण एक वर्ष के अन्दर कालातीत हो जाते हैं ।

मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबध्द अपराध 3 वर्ष में कालातीत हो जाते हैं । इसलिये यह अनिवार्य है कि इस समय सीमा के अन्दर या तो प्रकरण का प्रशमन पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा प्रकरण को अभियोजन हेतु राक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय ।

कृपया इन निर्देशों को समस्त वन कर्मचारियों को (बीट गार्ड स्तर तक) अवगत कराया जाय । क्योंकि मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969के अन्तर्गत प्रकरण को प्रशमन करने की शक्ति केवल वन मण्डलाधिकारी को ही दी गई है इसलिये यदि राष्ट्रीयकृत वनोपज से संबंधित प्रकरणों का समय पर प्रशमन नहीं होता है या उनका अभियोजन न्यायालय में नहीं किया जाता है तो इस संबंध में संबंधित वन मण्डलाधिकारी के विरुध्द भी कार्यवाही की जा सकती है ।

7/11/03

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश

पृ0क0/संरक्षण/कक्ष–2/ 1920 /भोपाल:दिनांक। 7/11/03

प्रतिलिपि :– समस्त वन मण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।

7/11/03

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश